पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गिरिडीह।

''प्रेस विज्ञप्ति''

दिनांक 29.10.2024

देवरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम– जालखरियोडीह में दिनांक – 30/31.07.2024 की रात में छोटन राणा उम्र 29 वर्ष पिता श्री बंधन राणा पता–बजगुन्दा, मिस्त्री टोला, थाना–देवरी, जिला–गिरिडीह के घर में अज्ञात लोगों के द्वारा लूट–पाट की घटना को अंजाम दिया गया था । उक्त घटना के संदर्भ में देवरी थाना काण्ड संख्या–65/24 दिनांक–31/07/2024 धारा–309(6) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया । अनुसंधान के क्रम में हिरोडीह थाना कांड सं0 – 131/24, धारा – 303(2) भा0न्या0सं0 में गिरफ्तार अप्रा0अभि0 तुलशी कुमार दास उर्फ छोटु दास पे0 कमल दास, सा0 – कोगडी, थाना – मुफ्फसिल, जिला–गिरिडीह के द्वारा अपने एवं अपने सहयोगियों की संलिप्तता स्वीकार की गई, जिसके आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खोरीमहुआ के आदेशानुसार पुलिस निरीक्षक गांवा अंचल श्री पास्कल टोप्पो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और त्वरित अनुसंधान करते हुए अप्रा0अभि0 1. राजु कुमार दास उम्र करीब 21 वर्ष पिता स्व0 बिरा दास सा0 – पपरवाटांड, पो0 – करहरबारी, थाना– मुफ्फसिल, 2. छोटु सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पे0 स्व0 अकलु सिंह, सा0–करुमटांड, थाना– जमुआ, 3. प्रेम उर्फ राजेश दास उम्र करीब 25 वर्ष पे0 हुलास दास सा0– कोगडी, थाना– मुफ्फसिल, सभी जिला– गिरिडीह एवं उनके निशानदेही पर एक चोरी का मोटरसाईकिल एवं लुट– पाट किये गये कुछ सामान को बरामद किया गया । इनलोगों का पूर्व से अपराधिक इतिहास भी रहा है तथा इनलोगों के द्वारा अलग – अलग थानों में चोरी / लूट / गृहभेदन की घटना को अंजाम दिया जा चुका है । अप्रा0अभि0 छोटु सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पे0 स्व0 अकलु सिंह, सा0– करुमटांड, थाना– जमुआ, जिला– गिरिडीह के विरुद्ध सी0सी0ए0 का प्रस्ताव भेजा जा चुका है । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू छापामारी जारी है ।

<u>बरामदगीः-</u>

1. कांड में लुट – पाट किये गये सामान 1. एक जोडा चांदी का पायल, 2. एक अंगुठी, 3. एक जोडा बलिया, 4. एक सोने का नथिया एवं 5. एक मोती का माला ।
2. एक बिना नम्बर का हिरो कम्पनी का काले रंग का चोरी का मोटरसाईकिल ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों की विवरणीः-</u>

1. राजु कुमार दास उम्र करीब 21 वर्ष पिता स्व0 बिरा दास सा0 – पपरवाटांड, पो0 – करहरबारी, थाना – मुफ्फसिल,

2. छोटु सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पे0 स्व0 अकलु सिंह, सा0 – करुमटांड, थाना – जमुआ, जिला – गिरिडीह ।
3. राजेश दास उर्फ नेपाली उर्फ प्रेम उम्र करीब 25 वर्ष पे0 हुलास दास सा0 – कोगडी, थाना – मुफ्फसिल, सभी जिला – गिरिडीह ।
4. तुलशी कुमार दास उर्फ छोटु दास पे0 कमल दास, सा0 – कोगडी, थाना – मुफ्फसिल, जिला – गिरिडीह (हिरोडीह थाना कांड सं0 – 131/24 में जेल भेजा गया)

<u>अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-</u>

1. रद्दीपुर थाना – 166/01, ST – 149/02, धारा – 354/379 भा०द०वि० ।
2. हंसडीहा थाना (दुमका जिला) कांड सं0 – 130/2000, धारा – 379 भा०द०वि० ।
3. देवरी थाना कांड सं0 – 178/18, धारा – 392 भा०द०वि० ।
4. देवरी थाना कांड सं0 – 195/18, धारा – 392 भा०द०वि० ।
5. देवरी थाना कांड सं0 – 91/19, धारा – 224 भा०द०वि० ।
6. जमुआ थाना कांड सं0 – 142/2004, दि० – 24.08.2004, धारा – 457/380/337 भा०द०वि० ।
7. जमुआ थाना कांड सं0 – 19/19, धारा – 395/412 भा०द०वि० ।
8. जमुआ थाना कांड सं0 – 332/22, धारा – 392/412 भा०द०वि० ।
9. GR – 40/2022, धारा – 224 भा०द०वि० ।

<u>छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी का नामः-</u>

1. पु0नि0 श्री पास्कल टोप्पो, गांवा अंचल कैम्प तिसरी ।
2. पु0अ0नि0 सोनु कुमार साहु, थाना प्रभारी देवरी थाना ।
3. पु0अ0नि0 मणिकान्त कुमार, थाना प्रभारी जमुआ थाना ।
4. पु0अ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल, थाना प्रभारी हिरोडीह थाना ।
5. पु0अ0नि0 रिषु कुमार सिन्हा, देवरी थाना ।
6. आ0 / 504 – संतोष यादव ।
7. आ0 / 498 – भागीरथ महतो ।
8. आ0 / 471 – जितेन्द्र ठाकुर ।
9. आ0 / 474 – विष्णु कापरी ।